कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर वनमंडल, जिला सागर (म.प्र.)

E-mail :- dfotnsagar@mp.gov.in: Phone & Fax No. :- 07582-236337

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 3383 सागर, दिनांक – 29/7/24

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक–1
जिला सागर (म.प्र.)

विषय :- जिला सागर के अंतर्गत सेवन जलाशय लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 6.26 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–3 / 93 / 2018 / 10–11 / 12 / 3355 दिनांक 25.06.2024

— 0 —

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-एमपीसी 001 / 2019–बीएचओ / I/74931 Date 18-06-2024 से अधिरोपित शर्तो के अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। जारी स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के पालन हेतु संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को निर्देश जारी किए है।

अतः प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का निम्नानुसार पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें :-

1. अधिरोपित शर्त क्रमांक–A(1) के पालन में गैर वनभूमि ग्राम नेतना के खसरा नंबर 107, 107 / 1 में से रकवा 6.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वनीकरण रकवा 6.26 हेक्टेयर की कुल राशि रूपये 5786000 / – (शब्दो में सन्तावन लाख छियासी हजार रूपये मात्र) कैम्पा मद में जमा की जावें।
2. अधिरोपित शर्त क्रमांक–A(5) के पालन में वनमंडल की प्रभावित वन भूमि रकवा 6.26 हेक्टेयर की प्रचलित निर्देश दिनांक 06.01.2022 अनुसार प्रति हेक्टेयर राशि रूपये 957780 / – के मान से नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 5995703 / – (शब्दों में उन्सठ लाख पन्चानवे हजार सात सौ तीन रूपये मात्र) कैम्पा मद में जमा की जावें।
3. अधिरोपित शर्त क्रमांक–A(8) के पालन में वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति प्रस्तुत की जावें।
4. अधिरोपित शर्त क्रमांक–A(2,3,4) के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु ग्राम नेतना खसरा नंबर 107, 107 / 1 में से रकवा 6.26 हेक्टेयर का राजस्व एवं वन विभाग की उपस्थिति में स्थाई चिन्ह बनाये जावें, सीमांकन उपरान्त वन विभाग को मौका कब्जा सौपें, सौपी गई गैर वनभूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण वन दर्ज कराया जावें। नामांतरित गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित कराने हेतु राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्रों की मूलप्रतियॉ, खसरा पंजी व पटवारी मानचित्र की प्रमाणित प्रति, जियो रिफरेन्स मानचित्र एवं सर्वे आफ इण्डिया की टोपोशीट की प्रति प्रस्तुत की जांवें।
5. अधिरोपित शर्त क्रमांक–B(1 to 13) के पालन में पृथक–पृथक वचन पत्र प्रस्तुत किये जावें।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो का पालन किया जाकर पालन प्रतिवेदन सुसंगत अभिलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड किया जाकर 03 प्रतियों में इस कार्यालय को शीघ्र भेजें।

वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल

पृ.क्रमांक / मा.चि / 2024 / सागर, दिनांक –

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल, वन भवन तुलसीनगर भोपाल को उनके संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप वनमंडल अधिकारी उत्तर सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी बांदरी को सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हस्तांतरित गैर वनभूमि का सीमांकन उपरान्त जल संसाधन विभाग की उपस्थिति में राजस्व विभाग से मौका कब्जा प्राप्त करें। प्राप्त की गई गैर वनभूमि को वनभूमि घोषित कराने हेतु मौका कब्जा प्राप्ति पंचनामा की मूलप्रति, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र एवं स्थल दर्शित सत्यापित वन मानचित्र की प्रति उप वनमंडल अधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भेजें।

वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक . एक सागर (म.प्र.)

☎ : 07582-285247 (सिविल कोर्ट के पास) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001
E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पृष्ठांकन क्र. 2660 / कार्य / 2024–25 सागर दिनाँक 05 / 08 / 2024

प्रतिलिपि :–

अनुविभागीय अधिकारी बाबिर मटिया शीर्ष कार्य उपसंभाग मालथौन जिला–सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर.एस. धुर्वे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर ,
जिला सागर